

/font>

Title: Regarding violation of the directives of Election Commission by the Government of Madhya Pradesh.

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मैं माफी मांगती हूँ। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची में धांधली हुई है। केन्द्रीय चुनाव आयोग के समक्ष पूरा का पूरा मामला आया। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के चार जिलों के कलेक्टरों के खिलाफ कार्यवाही करने और उन्हें सस्पेंड करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है लेकिन राज्य सरकार और वहां के मुख्य मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, I am on a point of order. Article 324 of the Constitution says...(Interruptions)

MR. SPEAKER: There is no point of order during 'Zero Hour'.

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, but if somebody speaks against the Constitution, then we can raise it. You please look into article 324 of the Constitution...(Interruptions) What she is saying is against article 324 of the Constitution...(Interruptions)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, ज़ीरो ऑवर में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये, प्लीज़।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश को मानने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा कि हम चुनाव आयोग का आदेश नहीं मानेंगे। इससे मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। वहां के मुख्यमंत्री लोकतंत्र की मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव आयोग का आदेश नहीं मान रही है। चुनाव आयोग का निर्देश नहीं मानने से वहां संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। (व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI : Sir, the entire authority is in the hands of the Election Commission and is not with the Chief Minister. (Interruptions) Article 324 is very clear about it...(Interruptions)

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करती हूँ कि सारी कार्यवाही रोक कर मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिये यह अनिवार्य हो गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश को राज्य सरकार में लागू किया जाये, राज्य सरकार चुनाव आयोग के आदेश की पालना करे। (व्यवधान) मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया जाये कि वह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करे। (व्यवधान) मैं संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ, मैं नियम के अंतर्गत अपनी बात कह रही हूँ। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से अपील करती हूँ कि यहां से मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश जाये कि वह चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करे। मध्य प्रदेश सरकार के लिये चुनाव आयोग का निर्देश है, उसका पालन करे।

अगर मध्य प्रदेश सरकार उनका पालन नहीं करती है तो यहां से प्रस्ताव पास होना चाहिए। (व्यवधान) इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

डॉ. क्षमीनारायण पाण्डेय : मध्य प्रदेश सरकार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। (व्यवधान)

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश के उन कलेक्टरों को बर्खास्त किया जाए, इस मामले की जांच की जाए तथा चुनाव आयोग की मर्यादा और संविधान की रक्षा की जाए। यह बहुत गंभीर मामला है।

डॉ. क्षमीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश का औचित्य नहीं है, हम इन्हें नहीं मानेंगे, ठीक नहीं है। चुनाव आयोग सर्वथा एक संवैधानिक अथॉरिटी है और संवैधानिक अथॉरिटी के निर्देश को न मानना एक प्रकार से संविधान का उल्लंघन है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर आप निर्णय करें, आप स्वयं आदेश दें, यदि निर्वाचन आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं तो उसके द्वारा जो भी निर्देश दिये गये हैं, उनका पालन होना चाहिए। वहां 41 विधान सभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी हुई है, वहां जिन कलेक्टरों को हटाने के निर्देश दिये गये हैं, उन्हें वहां की सरकार मान्य करे और संवैधानिक मर्यादा का पालन हो।